179

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 78/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–1995 पारित द्वारा कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 94/अ–67/1998–89 के पुनर्विलोकन बावत.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सतना
——— आवेदक

विरूद्ध

उमराव सिंह सेठिया
——— अनावेदक

.....

श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक आवेदक
श्री मनीष शर्मा एवं श्री बी0बी0 शुक्ला, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/5/2017 को पारित)

आवेदक शासन द्वारा यह विविध आवेदन कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 20–6–1995 को पुर्नविलोकन में लेने हेतु अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है।

2/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक शासन की ओर से कलेक्टर सतना की ओर से यह विविध आवेदन पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त विविध आवेदन पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 21–8–98 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP No 2840/2000 दायर की गई, जिसमें मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05–1–2011 को आदेश पारित करते हुये इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21–8–98 का आदेश निरस्त कर पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार आदेश पारित करने के निर्देश दिये। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पुनः सुनवाई प्रारंभ की जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि कलेक्टर सतना द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन में पुनर्विलोकन अनुमति दिया जाना न्यायसंगत अथवा नहीं। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन के संबंध में तहसीलदार रघुराजनगर सतना ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 28–11–95 में प्रतिवेदन किया है कि खनिज निरीक्षक के अलावा दिनांक 01–7–94 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं खनिज अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर दिनांक 11–7–94 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसपर पूर्व कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 20–6–1995 को आदेश पारित कर खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अमान्य किया। शासकीय रायल्टी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तत्कालीन कलेक्टर सतना द्वारा अपने पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश के पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात शासकीय रायल्टी के संबंध में पुनः निर्णय लेने हेतु पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान किया जाना शासन हित एवं न्यायहित में आवश्यक है। अनावेदक को भी अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध रहेगा। अतः कलेक्टर सतना को पुर्नविलोकन अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि रिव्यू में आदेश पारित करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान के उपरांत प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर नियमानुसार आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ कलेक्टर सतना का अभिलेख वापस भेजा जाये।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर